

28.02.2022:—आज यह पत्रावली पेश आई। प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. पर सुना गया। पत्रावली को अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता हैं तथा प्रार्थी का मूल वाद-पत्र पुन वाजिब नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. मूल वाद के सलग्न हो।

★

मुपायक